न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 27/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री भूराराम गोदारा खाध सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर		हिसामुदीन पुत्र लाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी तामलियार तहसील रामसर

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011

उपस्थितः—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री कमाल खां अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 17.05.2016

1- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.05.2014 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा दौराने गश्त चैकिंग सिणधरी चौराया बाड़मेर पहुॅचने पर एक वाहन संख्या आरजे 21 जीए 4786 खड़ी दिखाई दी। जिसमें दूध भरा हुआ था तथा गाडी मालिक दूध विक्रय कर रहा था जिसके पास पहुॅच कर नाम पता पूछने पर अपना नाम हिसामुदीन पुत्र लाल मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी तामलियार तहसील रामसर बताया। वाहन का निरीक्षण करने पर वाहन में 50—50 लीटर के तीन केनो में दूध भरा हुआ मिला, जिसे वह आम जनता को विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखा हुआ था। दूध में मिलावट होने का संदेह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व खाली शीशीयों मे बराबर मात्रा में भरा जिसका भुगतान 40/—अप्रार्थी हिसामुदीन को किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40—40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजरवेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा इसके उपर लेबल चिपकाया जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो के हस्ताक्षर करवाये गये एंव पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी 329 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया इसके

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मॉजिस्ट्रेट बाड़मेर

उपर लेबल चिपा कर नमूने का विवरण अंकित किए। प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाह ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाह के एंव प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही रूबरू गवाह के की गई तथा चारो नमूनो को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाह की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। सभी कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–329 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग सेंपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, अंकित कर तैयार किया गया एंव एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफं को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रतिं आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ दूध(मिक्स) नमूनापी–327 की जॉच रिपोर्ट एलएस/194/एक्ट/2014/214 दिनांक 15.05.2014 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को भेजी गई। जॉच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर नमूना जॉच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर(Sub Standard as it Does not conform) स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाध पदार्थ दूध(मिक्स) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करना पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी 329 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2- परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कमाल खां हाजिर आये। जिन्होंने जवाब पेश कर दूध का लिया गया सेम्पल अप्रार्थी का नहीं होने एंव मदरसे में दान देने के लिये गांव के निवासीयो से एकत्रित करके लेकर आया था। अप्रार्थी पर लगाये गये जुर्म स्वेच्छा से तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित स्वीकार करना एंव प्रथम अपराध होने से कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का निवेदन किया ।

3- हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है गश्त चैकिंग के दौरान दिनांक 05.05.2014 को प्रार्थी द्वारा वाहन आरजे 21 जीए 4786 को चैक करने पर उसमे 50.–50 लीटर के तीन केनो में दूध भरा हुआ मिला, जो आम जनता को विक्रय करने हेतु अपने कब्जे में रखा हुआ था। उक्त दूध में मिलावट होने का संदेह होने पर दूध का नियमानुसार नमूना लिया गया। जॉच के दौरान दूध (मिक्स)पी–329 नमूना जॉच में दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर(Sub Standard/Does not conform) आवमानक स्तर का होना पाया गया, जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4- अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा लिये गये दूध के सेम्पल में निर्धारित मानदण्ड से कम पानी की मात्रा पाई गई थी। बरामद दूध अप्रार्थी का नहीं था बल्कि मदरसे में दान देने के लिये गांव के निवासीयो से एकत्रित करके लाया था। अप्रार्थी पर लगाये गये जुर्म स्वेच्छा से तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करता है तथा अप्रार्थी का प्रथम अपराध होने से नरम दृष्टिकोण अपनाते हुए कम से कम जुर्माना आरोपित किया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावें ।

5- हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/एक्ट/195/एक्ट/2014/214 दिनांक 15.05.2014 के अनुसार अप्रार्थी के दूध डेयरी की नमूना जॉच रिपोर्ट में विक्रय किया जा रहा दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर(Sub Standard/Does not conform) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

6- अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी हिसामुदीन द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)के तहत पाये गये दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक स्तर(Sub Standard/Does not conform) दूध रखने एंव बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी हिसामुदीन पर 5,000/– अक्षरे रूपये पॉच हजार शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्णय तारीख 17.05.2016 के एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाडमेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 17.05.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर